ग्राम पंचायत मोरठ जसाई, विकास खण्ड बड़ोह, जिला काँगड़ा, हि॰ प्र॰ के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

भाग—एक

1. (क)प्रस्तावना

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत मोरठ जसाई, विकास खण्ड बड़ोह, जिला काँगड़ा हि0 प्र0 के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान, सचिव, तकनीकी सहायक व ग्राम रोजगार सेवक कार्यरत रहे :—

प्रधान:—

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री राज कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव :—

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री ईश्वर दास	01.04.2022 से 28.02.2024
2	श्री रूप लाल	28.02.2024 से 31.03.2024

तकनीकी सहायक :—

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री मिलाप चन्द	01.04.2022 से 03.10.2022
2	श्री रशपाल	04.10.2022 से 31.03.2024

ग्राम रोजगार सहायक :–

क्र॰स॰	नाम	अवधि
1	श्री रविन्द्र कुमार	01.04.2022 से 08.06.2023
2	श्री मुकेश कुमार	09.06.2023 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः–

ग्राम पंचायत मोरठ जसाई के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0 सं0	पैरा सं॰	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.ग	रोकड़ बही व बैंक के अन्त शेषो में अन्तर पाया जाना	0.02
2	5.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	14.42
3	6.1	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.47
4	7.1	क्रय किये गये सामान की स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत दर्ज न करना	27.81
5	7.2	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक का क्रय करना	4.32
6	7.3	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती न करने के फलस्वरूप सम्भावित राजस्व हानि	1.92
7	8.1	निर्माण कार्य के लिये आवश्यकता से अधिक सामग्री के उपयोग के कारण अनियमित व्यय करना	0.08
8	8.2	निविदाओं में अनुमोदित दर की तुलना में व हि0प्र0 सिविल सप्लाई रानीताल को अधिक दर से भुगतान करना।	0.04

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत मोरठ जसाई का गत अंकेक्षण अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 के लिये किया गया था, जिसके शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति निम्नलिखित है:–

1. अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 01/04/2014 से 31/03/2017 तक

क्र0सं0	पैरा सं0	निर्णीत/अनिर्णीत	अनुपालना का संक्षिप्त विवरण
1.	3	निर्णीत	पुष्टि उपरान्त
2.	4.1	अनिर्णीत	—
3.	4.2	अनिर्णीत	—
4.	5	अनिर्णीत	—
5	6.1,6.2	अनिर्णीत	—
6	6.3	अनिर्णीत	—
7	7	अनिर्णीत	—
8	8	निर्णीत	—
9	9	अनिर्णीत	—
10	10	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है।
11	11	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है।
12	12.1 से 12.3	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनःप्रारूपित कर दिया गया है।

भाग—दो

2. वर्तमान अंकेक्षणः—

ग्राम पंचायत मोरठ जसाई के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 06.05.2024 से 18.05.2024 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जाँच हेतु मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गयाः—

वर्ष	आय	व्यय
2022–23	11/2022	05/2022
2023–24	11/2023	02/2024

अस्वीकरण (Disclaimer) :– वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत के अवधि 01/04/2022 से 31/03/2024 के लेखों का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/– आंका गया है। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला–171009 को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा/अ.वृ.का./2024/205 दिनांक 18.05.2024 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया। सचिव द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि कांगडा केन्द्रीय सहकारी बैंक रानीताल के मल्टीसिटी चैक संख्या 051072 दिनांक 04.06.2024 द्वारा निदेशक, हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग को भेज दी गई है।

4.1 (क) वित्तीय स्थितिः–

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ.वृ.का./2024/187 दिनांकः–06.05.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों की वित्तीय स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट–1** में दिया गया है:–

1.स्वः–स्त्रोतः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	171284.71	310413.00	481697.71	328631.00	153066.71
2023-24	153066.71	289621.00	442687.71	369810.00	72877.71

2.अनुदानः–

अवधि	अथशेष	प्राप्ति	योग (कॉलम 2+3)	व्यय	अन्तशेष (कॉलम 4–5)
1	2	3	4	5	6
2022-23	1167436.93	6505189.07	7672626.00	6260512.68	1412113.32
2023-24	1412113.32	3361598.08	4773711.40	3331726.69	1441984.71

कुल योग (1+2) 72877.71+1441984.71 **=1514862.42**

(ख) बैंक समाधान विवरणीः–

ग्राम पंचायत की दिनांक 31.03.2024 को रोकड़बही/वित्तीय स्थिति से ₹15,14,862.42 तथा बैंक खातों/हस्तगत राशि "**परिशिष्ट–3**" के अनुसार अन्तशेष **₹15,12,991.42** से सम्बन्धित बैंक समाधान विवरणी निम्नानुसार हैः–

	बैंक खातों की विवरणीः–			
क्र	**विवरण**	**बैंक**	**खाता**	**अन्त शेष (₹)**
1	स्वःस्त्रोत/5वां वित	का•के•सह•बैंक रानीताल	20033042240	70206.71
2	टी.एस.सी/एस.बी.एम	पी.एन.बी बालूगलोआ	20040000100061266	0
3	एस.डी.पी	पी.एन.बी बालूगलोआ	2440000100060407	136391.34
4	वी.के.वी.एन.वाई	पी.एन.बी बालूगलोआ	2440000100060416	79238.41
5	एस•सी•एस•पी	पी.एन.बी बालूगलोआ	2440000100061257	2301.14
6	एम.एम.जी.पी.वाई	पी.एन.बी बालूगलोआ	2440000100060382	1335.38
7	सी.आर.एफ	पी.एन.बी बालूगलोआ	2440000100060461	109032.14
8	14वाँ वित्तायोग	पी.एन.बी बालूगलोआ	2440000100060373	0
9	15वाँ वित्तायोग	एच•डी•एफ•सी बैंक काँगड़ा	50100358467443	1113686.30
	हस्तगत शेष			800

बैंक खातों व हस्तगत षेष का दिनांक 31.03.2023 का कुल योगः–	**₹1512991.42**
दिनांक 31.03.2023 को बैंक समाधान विवरणी :–	
रोकड़ बही के आधार पर तैयार वित्तीय स्थिति (पैरा 4) के अनुसार अन्तशेषः–	₹1514862.42
पंचायत के बैंक खातों का दिनांक 31.03.2023 का अन्तशेषः–	**₹1512991.42**
अन्तरः–	₹1871

नोटः– अंतर का कारण पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

(ग) रोकड़ बही का बैंक खातों के शेषों का नियमानुसार मिलान न करने के कारण ₹0.02 लाख का अन्तर पाया जानाः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत मोरठ जसाई द्वारा हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी, जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को ऑनलाईन रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹1871/- का अन्तर रोकड़ बही में अधिक शेष के रूप में था, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा–4 में दिया गया है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/192 दिनांक 08.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02/2024 दिनांकः 04.05.2024 द्वारा सूचित किया गया कि बैंक समाधान विवरणी तैयार करके अन्तर का मिलान कर दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः इस बारे तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार वर्तमान में अन्तर का शीघ्रातिशीघ्र मिलान किया जाये तथा भविष्य में भी नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करते हुये बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(घ) लेखा खाता/खाताबही तैयार न करना:–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29(1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप–7 में लेखा खाता/खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अवधि 2023–24 की खाताबही/लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे। उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान चयनित मास के वाउचरों का अवलोकन करने पर इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि निम्न तालिका में दर्शाए गए कार्यों हेतु कितनी–कितनी राशि प्राप्त हुई व कितना व्यय हुआ है तथा निम्न कार्यों को पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं:–

अनुदान	वाउचर सं/दिनांक	बिल सं/दिनांक	कार्य का नाम	राशि (₹)
1.एस.डी.पी	पी/19/ 01.02.2024	92434/ 20.02.2024	निर्माण पुली एस.सी बस्ती नजदीक मनोहर लाल के घर	18900
2.एस.डी.पी	पी/12/ 21.02.2024	0222/ 03.08.2023	निर्माण रास्ता पीपल पेड से संसार चन्द के घर तक वार्ड 4	25526
3.एस.डी.पी	पी/15/ 21.02.2024	0220/ 01.07.2023	निर्माण सुरक्षा दीवार नजदीक पुनी लाल के घर	45463
4.15वां वित	पी/14/ 06.02.2024	0229/ 01.07.2023	निर्माण रास्ता मेन रोड से सुनील कुमार के घर तक वार्ड 1	18842

इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/204 दिनांकः 18.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02/2024 दिनांकः–18.05.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि खाताबहियों/लेखा खातो का संधारण कर लिया जायेगा।

अतः उक्त अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इस अवधि की खाताबही/लेखा खाते तैयार करते

हुए भविष्य में भी खाताबही/लेखा खाते तैयार किये जाने सुनिश्चित किये जाये व कृत सुधारात्मक अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाए।

(ड.) खाता–क व खाता–ख का रख–रखाव अलग–अलग न रखनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 (1) के अनुसार नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 01 से 50 में वर्णित आय पंचायत की अपनी आय के स्त्रोत माने जायेंगे और ऐसी आय के लिये पंचायत निधि खाता–क खोला जायेगा। इसी तरह नियम 3 में दर्शाई सहिंता संख्या 51 से 99 में वर्णित आय सहायता अनुदान विशेष प्रयोजनों के लिये आबंटित निधियां और प्राप्त ऋण हेतु खाता–ख खोला जायेगा। इसके अतिरिक्त निदेशक पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी.सी.एच–एच.ए (5) सी (15) –(13) (एल) 5–47005–81 दिनांक 15.02.2012 के अनुसार स्कीम वाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है। ग्राम पंचायत मोरठ जसाई द्वारा स्वयं स्त्रोत व अनुदान राशि का खाता–क व खाता–ख अलग अलग से तैयार नहीं किया गया था बल्कि स्वः स्त्रोत व अनुदानो जैसे कि 5वां वित, वी.के.वी.एन. वाई,एस.डी.पी, एस.सी.एस.पी, सी.आर.एफ व एम.एम.जी.पी.वाई इत्यादि की सयुंक्त रोकड़ बही लगाई गई थी तथा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचनानुसार स्वः स्त्रोत, पांचवा वित आदि शीर्षो के अन्तर्गत नियमों एवं निर्देशो के विरुद्ध खाता संख्या 20033042240 में ही प्राप्त अनुदानों को जमा किया गया तथा इससे ही व्यय किया गया था, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है। जोकि नियमों के विपरीत है। इस अनियमितता के कारण किसी व्यय के दो बार भुगतान होने तथा धन के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नही किया जा सकता।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/204 दिनांक–18.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या 02/2024 दिनांक 18.05.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि खाता–क व खाता–ख का अलग–अलग अनुसंधारण कर दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार रोकड़ बही एवं बैंक खातों का स्कीमवार रख–रखाव न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में खाता–क व खाता–ख के अनुरूप रोकड़ बही एवं बैंक खातों का स्कीमवार का रख–रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

5.1 अनुदान की राशि ₹14.42 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार प्राप्त अनुदान राशियों को फंडिग एजेन्सी की अपेक्षाओं एवं मार्गदर्शन अनुसार निर्धारित उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना अपेक्षित है।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/187 दिनांकः–06.05.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत सूचना, जो कि **परिशिष्ट–1 व परिशिष्ट–2** पर संलग्न है, के अनुसार दिनांक 31–03–2024 तक अनुदान में प्राप्त राशियों में से ₹1441984.71 की राशि उपयोग हेतु शेष थीः–

क्र0सं0	अनुदान का नाम	दिनांक	राशि (₹)
1.	एस.डी.पी	31.03.2024	136391.34
2	वी.के.वी.एन.वाई	31.03.2024	79238.41
3.	एस.सी.एस.पी	31.03.2024	2301.14
4.	एम.एम.जी.पी.वाई	31.03.2024	1335.38
5	सी.आर.एफ	31.03.2024	109032.14
6	15वाँ वित्तायोग	31.03.2024	1113686.30
		कुल जोड	**1441984.71**

उपरोक्त तथ्य स्पष्ट करते हैं कि उक्त शीर्षो के अन्तर्गत करवाये जा रहे विकास कार्यो का निष्पादन अपेक्षित स्थिति में नहीं है तथा सरकार द्वारा निर्धारित विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने से यह पंचायत पीछे है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/195 दिनांकः 15.05.

2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02/2024 दिनांक 18.05.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि शेष अनुदान राशि को आगामी समय में व्यय करने उपरान्त अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः शेष अनुदान राशि को अंकेक्षण अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए उक्त राशि को नियमानुसार निर्धारित उद्देश्यों हेतु व्यय करना सुनिश्चित किया जाए तथा तदानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

5.2 अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव न करना :–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 61(1) के अंतर्गत उल्लेखित फार्म 21 के अनुसार अनुदान रजिस्टर का संधारण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अनुदान रजिस्टर का रख–रखाव नहीं किया गया था जिसके अभाव में प्रस्तुत अनुदानों की वित्तीय स्थिति का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

अतः भविष्य में नियमों के अनुसार रजिस्टर तैयार एवं अद्यतन (Update) करके समस्त प्राप्त अनुदान व अनुदान राशि से किये गये व्यय का लेखाकंन अनुदान रजिस्टर में करने उपरांत अंकेक्षण सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

6.1 सम्पति कर/गृहकर की ₹0.47 लाख की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जानाः–

हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 100 तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत द्वारा सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जानी अपेक्षित है तथा हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय/अदत (Outstanding) नहीं रखी जाएगी।

पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0 /2024/187 दिनांकः–06.05.2024 की अनुपालना में प्रस्तुत **परिशिष्ट "4"** पर संलग्न सूचना के

अनुसार सम्पत्तिकर/गृहकर की मद में **₹47250/–** की राशि दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष थी क्योंकि अवधि 2023–24 के दौरान पंचायत द्वारा कोई भी वसूली नही की गई थी। सम्पत्तिकर/गृहकर का वसूली हेतु शेष पाया जाना यह स्पष्ट करता है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है। सम्पत्ति कर/गृहकर की वसूली न करने से उस पर अर्जित ब्याज से होने वाले लाभ से भी पंचायत को वंचित होना पड़ा।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/196 दिनांकः–15.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02/2024 दिनांक 18.05.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि वर्तमान समय से सम्पति कर/गृहकर की वसूली की जा रही है तथा वसूली उपरान्त सभा निधि में जमा करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं है।

अतः पंचायत राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों की नियमानुसार तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए इसकी वसूली प्राथमिकता के आधार पर प्रतिवर्ष की जानी सुनिश्चित की जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.2 सम्पति कर/गृहकर मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार न करनाः–

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम के नियम 33 व 77 के अनुसार फार्म 10 पर पंचायत के गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत के सम्पति कर/गृहकर का मांग व एकत्रीकरण रजिस्टर तैयार नहीं किया गया था अथवा अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में **परिशिष्ट "4"** पर दर्शाए दिनांक 31.03.2024 को सम्पत्ति कर/गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि की सत्यता की पूर्ण पुष्टि नहीं की जा सकी। इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/196 दिनांकः–15.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी

अनुपालना में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02/2024 दिनांक 18.05.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर को तैयार करने उपरान्त आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

अतः गृहकर मांग एवं संग्रहण रजिस्टर तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व शीघ्रातिशीघ्र इसे तैयार करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाये।

6.3 विवाह पंजीकरण के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने बारेः–

सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना सख्या–SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.2016 के अंतर्गत विवाह रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित दर से प्राप्त की जानी अपेक्षित है तथा जिसे समय–समय पर वसूल करने के उपरान्त विवाह पंजीकरण नियम 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित प्राप्ति मुख्य शीर्ष खाता सख्या "0235–00–800–03" में जमा करवाया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत मोरठ जसाई द्वारा वर्ष 2022–23 व 2023–24 के दौरान निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया थाः–

क्र0सं0	**वित्तीय स्थिति**	**विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि**
1.	2022–23	1050
2	2023–24	2000
	जोड़	**3050**

विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई उक्त राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाने का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/196 दिनांकः 15.05.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत मोरठ जसाई के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02/2024 दिनांक 18.05.2024 द्वारा स्पष्ट

किया गया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि सरकारी कोष में जमा करवा दी जाएगी।

अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को नियमानुसार सरकारी कोष में जमा न करवाने का तथ्य पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अथवा अंकेक्षण को दिये गये आश्वासनानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में प्राप्त की गई राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

7.1 क्रय किये गये सामान राशि ₹27.81 लाख का स्टॉक रजिस्टर में स्टॉक प्राप्ति व खपत से सम्बन्धित लेखांकन न होनाः–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1) (ए.बी.सी.डी.) के अनुसार पंचायत द्वारा क्रय किये गए भण्डार का उसकी स्थायी व अस्थायी प्रकृति के अनुरूप प्रारूप 25, 26, 27 व 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत मोरठ जसाई के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के दौरान की गई खरीद के वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"5"** पर संकलित राशि ₹2781147/– के स्टॉक को क्रय उपरान्त स्टॉक रजिस्टरो में दर्ज नहीं किया गया था, जिससे क्रय हेतु कृत व्यय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/203 दिनांकः–18.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02/2024 दिनांक 18.05.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि सामग्री स्टॉक रजिस्टर तैयार कर लिया जायेगा। प्रस्तुत उतर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः क्रय किये गये प्रत्येक सामान का नियमानुसार इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित किया जाए व भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति को रोका जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से अंकेक्षण को शीघ्रातिशीघ्र अवगत करवाया जाये।

7.2 निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹4.32 लाख के स्टॉक का क्रय करनाः—

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अन्तर्गत पंचायत द्वारा किये जाने वाले व्यय से सम्बन्धित निविदा आदि औपचारिकताएं प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत मोरठ जसाई के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट—"5"** में दिए गए विवरणानुसार ₹4,31,755/— का व्यय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना एवं बजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाये बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

उपरोक्त अनियमितत्ता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां0/2024/202 दिनांकः—18.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः—02/2024 दिनांक 18.05.2024 द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में औपचारिकताओं को पूर्ण करके सामान क्रय किया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण संतोषजनक नहीं पाया गया।

अतः तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुये नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7.3 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों के समर्थन में नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख की अनुपस्थिति में रॉयल्टी की कटौती न करने फलस्वरूप सरकारी कोष को ₹1.92 लाख की सम्भावित राजस्व हानिः—

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल नियम 2015 के नियम 81 व 81—ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास फॉर्म डब्लयू या

सप्लीमेंटरी पास फॉर्म X उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निर्धारित दरो से रॉयल्टी का भुगतान 25 प्रतिशत पेनल्टी के साथ करना होगा।

ग्राम पंचायत द्वारा **परिशिष्ट–"6"** पर संलग्न चुनिंदा वाउचरों के तहत निर्माण कार्यो के निष्पादन हेतु आपूर्तिकर्ताओं से खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति पर उक्त ट्रांजिट पास फॉर्म अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किए गए। परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ता को ₹1,92,578/– का अनियमित भुगतान किया गया प्रतीत होता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/197 दिनांकः–16.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02/2024 दिनांक 18.05.2024 द्वारा सूचित किया गया कि गत समय में क्रय की गई सामग्री रेत, बजरी, बोल्डर से सम्बन्धित एम फॉर्म को सम्बन्धित संविदाकार से ले लिया जायेगा तथा आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा। उत्तर अंकेक्षणापति के अनुकूल न होने के कारण संतोषजनक नहीं है, क्योंकि ट्रांजिट पास फॉर्म को उपलब्ध न करवाने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता को खनन सामग्री की राशि का भुगतान रॉयल्टी की कटौती 25 प्रतिशत पेनल्टी सहित करने के पश्चात किया जाना अपेक्षित था।

अतः उक्त किये गये अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित न्यायोचित ठहराया जाये अथवा इस मामले को सम्बन्धित विभाग से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अवगत करवाया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853" नॉन फैरस माइनिंग एवं मेटोलोजिकल इंडस्ट्रीज उप–शीर्ष "102" मिनरल कन्सेशन फीस किराया एवं रॉयल्टीस "81"खनिज फीस रियायत आदि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। पूर्वोक्त मामलों के अतिरिक्त अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई निर्माण सामग्री हेतु रॉयल्टी की राशि की संस्था/विभागीय स्तर पर नियमानुसार समुचित गणना कर उसकी भी वस्तुस्थिति अनुसार वसूली उचित स्त्रोत से करके कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.1 विभिन्न अनुदानो के अंतर्गत विभिन्न निर्माण कार्यो के लिये आवश्यकता से अधिक सामग्री के उपयोग के कारण हेतु ₹0.08 लाख का अधिक भुगतान करनाः—

1. निर्माण रास्ता चौराह से अजय कुमार के घर वार्ड 5 की रिकार्ड प्रविष्टियों का अवलोकन करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार माप पुस्तिका संख्या 17817 के पृष्ठ संख्या 73 व 74 में निर्माण सामग्री सीमेंट का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 122212 दिनांक 18.06.2022 के अनुसार निर्माण सामग्री सीमेंट 25 बैग का क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप कम निष्पादन तथा क्रय की गई कुल सामग्री को जारी/खप्त की मात्रा को अधिक दर्शाने के कारण **₹**2646 का अधिक भुगतान किया गया था।

2. निर्माण रास्ता पीपल के पेड से संसार चन्द इत्यादि के घर वार्ड 4 की रिकार्ड प्रविष्टियां का अवलोकन करने पर पाया गया निम्न विवरणानुसार माप पुस्तिका संख्या 17817 के पृष्ठ संख्या 80,81 व 82 में निर्माण सामग्री सीमेंट का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिये बिल संख्या 122647 दिनांक 13.05.2022 तथा 122291 दिनांक 01.07. 2023 के अनुसार निर्माण सामग्री सीमेंट 57 बैग का क्रय किया गया था। परिणामस्वरूप कम निष्पादन तथा क्रय की गई कुल सामग्री को जारी/खप्त की मात्रा को अधिक दर्शाने के कारण **₹5292** का अधिक भुगतान किया गया था।

क्र0 सं0	अनुदान	सामग्री	क्रय की गई सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्यो पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि
1.	15वा वित	सीमेंट	25Bag	18Bag	7	378	2646
2.	एस.डी.पी	सीमेंट	57 Bag	43Bag	14	378	5292
					जोड		**7938**

<u>**वास्तविक सीमेंट खप्त योग्य सामग्री का विवरण :—**</u>

1 Item- P/L(1:2:4) =2.85CumX 6.40(Cement Factor) =18.24 or say 18 Bag
2 Item- P/L(1:2:4) =6.68CumX 6.40(Cement Factor) =42.75 or say 43 Bag

इन अनियमितताओं बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/199 दिनांक: 17.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–02/2024 दिनांक 18.05.2024 द्वारा सूचित किया गया कि निर्माण कार्य के लिये किये गये अधिक भुगतान की वसूली संबंधित संविदाकार/व्यक्ति से करके तथा सम्बन्धित खाते में जमा करवा दी जायेगी।

अतः अधिक भुगतान की गई राशि बारे तथ्यों सहित पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाये अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके सम्बन्धित खाते में जमा करवाना सुनिश्चित की जाये व कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8.2 निविदाओं में अनुमोदित दर की तुलना में व हि0प्र0 सिविल सप्लाई रानीताल को अधिक दर से ₹0.04 लाख का अधिक भुगतान करना।

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 76 के अनुसार यदि किसी बिल/वाउचर का वास्तविक भुगतान से अधिक भुगतान किया जाता है तो पंचायत सचिव व्यक्तिगत तौर पर तत्परता से अधिक किये गये भुगतान की वसूली करने का जिम्मेवार होगा।

अंकेक्षण के दौरान नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत निम्नलिखित सामान का क्रय किया गया था:–

अनुदान	वाउचर स0 /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	सामान का विवरण	अपेक्षित दर से भुगतान ₹	किया गया भुगतान ₹	अधिक भुगतान ₹
1.मनरेगा	180/29.02.2024	मै0 कमाल दीन ऐंटरप्राईजेज रजियाणा खास	शटरिंग	1305 (09@145)	3735 (09@415)	2430
2.वी.के.वी. एनवाई	पी/13/11.05.2022	मै0 हि.प्र.सिविल सप्लाई रानीताल	सीमेंट बैग	10962 (29@378)	11282 (29@389.03)	320
3.15वां वित	पी/2/11.05.2022	मै0 हि.प्र.सिविल सप्लाई रानीताल	सीमेंट बैग	19430.92 (38@322.34) (19@378)	19663	232
4.15वां वित	पी/3/15.05.2022	मै0 हि.प्र.सिविल सप्लाई रानीताल	सीमेंट बैग	6804 (18@378)	7091 (18@393.94)	287

5.15वां वित	पी/4/ 15.05.2022	मै0 हि.प्र.सिविल सप्लाई रानीताल	सीमेंट बैग	9450 (25@378)	9670 (25@386.80)	220
6.एस.डी.पी	पी/9/ 01.02.2024	मै0 हि.प्र.सिविल सप्लाई रानीताल	सीमेंट बैग	18767 (49@383)	18900 (49@385.71)	133
7.एस.डी.पी	18/1/ 01.07.2023	मै0 हि.प्र.सिविल सप्लाई रानीताल	सीमेंट बैग	21546 (57@378)	21909 (57@384.37)	363
8.15वां वित	पी/20/ 24.02.2024	मै0 हि.प्र.सिविल सप्लाई रानीताल	सीमेंट बैग	6579 (17@387)	6894	315
					कुल योग	**4300**

उपरोक्त बिल/वाउचर की निविदाओं में अनुमोदित दर से भुगतान न करके अधिक दर से व मै0 हि.प्र.सिविल सप्लाई रानीताल को कुल मिलाकर ₹4300(2430+1870)/– का अधिक भुगतान किया गया था।

उक्त अधिक भुगतान का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना क्रमांक:राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/204,198 दिनांक:–18.05.2024 व 17.05.2024 के अंर्तगत पंचायत सचिव के ध्यानार्थ वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्या:–02/2024 दिनांक 18.05.2024 द्वारा स्पष्ट किया कि अधिक भुगतान की वसूली संबंधित संविदाकार/व्यक्ति से करके सम्बन्धित खाते में जमा करवा दी जायेगी व सिविल सप्लाई को किये गये अधिक भुगतान के बारे में उनसे पत्राचार कर लिया जायेगा तथा वसूली का समायोजन कर लिया जायेगा।

अतः अधिक किये गए भुगतान का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करना सुनिश्चित की जाये तथा सम्बन्धित शीर्ष में जमा करवाकर व कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को अवगत करवाया जाए।

9 संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹5.35 लाख का अनियमित भुगतान करना:–

हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1 तथा 2) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि सम्बन्धित बिल/वाउचर पर पंचायत प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षरों से भुगतान आदेश नियमानुसार पारित न किया गया हो।

ग्राम पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही ₹535130/– का भुगतान किया गया था जोकि उक्त नियमो की स्पष्ट अवहेलना है, जिसके अभाव में किये गये भुगतानो की सत्यता व प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं की जा सकती। यह एक अनियमितता है।

इस प्रकरण को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/204 दिनांकः 18.05.2024 के अंतर्गत सचिव ग्राम पंचायत मोरठ जसाई के ध्यानार्थ लाया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02/2024 दिनांक 18.05.2024 द्वारा अवगत करवाया गया कि वर्तमान समय से इन नियमों की अनुपालना की जा रही है।

अतः नियमो के विरूद्ध किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

नोटः– उक्त व्यय अंकेक्षण अवधि के चयनित मासो के मनरेगा व्यय के अतिरिक्त अन्य अनुदानों के व्यय से सम्बन्धित हैं।

10 निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विसंगतियांः–

निर्माण कार्यों से सम्बन्धित वाउचर नस्तियों में उपलब्ध बिल/वाउचरों की नमूना अंकेक्षण जाँच उपरान्त तथा पैरा संख्या "4(घ)" के अंतर्गत दिखाये गये व्यय के अनुसार निर्माण कार्यों के सन्दर्भ में पाया गया कि निर्माण कार्य निष्पादन हेतु हि•प्र• पंचायती राज (वित्त बजट लेखे,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 में प्रावधित नियमों की अनुपालना नहीं की जा रही थी। इन बिलों में निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैंः–

1. नियम 96(1) की अनुपालना में अनुभागी/संकर्म समिति नहीं बनाई गई थी जिसके साथ निर्धारित समयावधि के भीतर कार्य निष्पादन हेतु पंचायत द्वारा उक्त नियमावली के "परिशिष्ट – ई" में दिए गए "अनुबन्ध" प्रारूप में अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित था।

2. नियम 104(2)(1) तथा 105 की अनुपालना में निर्माण कार्यों की नमूना जाँच ;मापन पुस्तिका में सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों जैसे कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, आदि द्वारा नहीं की गई थी।

3. किसी भी योजना, मनरेगा के अतिरिक्त निर्माण सामग्री आपूर्ती के बिलों को कनिष्ठ अभियन्ता/तकनीकी सहायक द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था जिसके कारण किये गये भुगतान की प्रमाणिकता संदिग्ध हो जाती है।

4. निर्माण कार्यो के बिलो के भुगतान के समय पंचायत द्वारा नियमानुसार टी.डी.एस,रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती नहीं की थी।

इन अनियमितताओ बारे अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/204 दिनांकः–18.05.2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत मोरठ जसाई को अवगत करवाया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02/2024 दिनांक 18.05.2024 द्वारा सूचित किया गया कि वतर्मान समय से इन नियमो की अनुपालना की जा रही है। प्रस्तुत उत्तर तथ्य रहित होने के कारण सन्तोषजनक नहीं है।

अतः उपरोक्त नियमों की अवहेलना किये जाने बारे उचित स्पष्टीकरण के अतिरिक्त भविष्य हेतु नियमानुसार कार्य करना सुनिश्चित किया जाये तथा कृत सुधारात्मक कार्यवाही से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

11 नियमों की अवहेलना करते हुए महत्वपूर्ण अभिलेखो का अनुरक्षण न करनाः–

हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि॰प्र॰ पंचायती राज सामान्य नियम 34 के अन्तर्गत प्रावधित महत्वपूर्ण अभिलेख/रजिस्टरों का अनुरक्षण किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकः राज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/187 दिनांकः 06.05.2024 के क्रमांक 9 में मांगी गई जानकारी की अनुपालना में पंचायत सचिव कार्यालय पत्र संख्याः–02/2024 दिनांक 18.05.2024 द्वारा दी गई सूचना तथा पंचायत के लेखों के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न रजिस्टर/अभिलेखों का पंचायत द्वारा अनुरक्षण नहीं किया

गया था अथवा अनुरक्षण में नियमों की अवहेलना की गई थी, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र0	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1.	निवेश रजिस्टर	01	12
2.	क्लासीफाइड ऐबस्ट्रैक्ट	8	29(4)
3.	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30
4.	मासिक बैंक समाधान विवरणी	––	7(3) एवं 10(1) तथा "प्रारूप–5" के आरम्भ में दी गई टिप्पणी
5	वार्षिक बजट नियमों की अवहेलना करते हुये पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में ही दर्ज किया गया है।	11	37
6	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
7	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
8	निर्माण कार्य रजिस्टर	……..	103
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72 (1) ए बी
10	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)
11	मांग व संग्रह रजिस्टर	10	33
12	विकास कार्यों का निष्पादन रजि0	07	……………………
13	पंचायत प्रतिनिधियों एवं सहायक कर्मचारियों को दिये जाने वाले मानदेय/वेतन का रजिस्टर		

उपरोक्त महत्वपूर्ण अभिलेख को अनुरक्षित न किए जाने अथवा अनुरक्षण में नियमों की पूर्ण पालना न करने बारे वस्तुस्थिति से अंकेक्षण को अवगत करवाने के अतिरिक्त अब प्राथमिकता के आधार पर इन अभिलेखो का अनुरक्षण किया ज़ाना सुनिश्चित किया जाये।

12 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:–

हि॰प्र॰ पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **73** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा नियमानुसार कभी भी प्रत्यक्ष सत्यापन नही किया गया था, जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका।

अतः समय–समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

इस बारे में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु पंचायत सचिव को अंकेक्षण अधियाचना क्रमांकःराज्य लेखा परीक्षा विभाग/अ0वृ0कां/2024/187 दिनांकः–06.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में पंचायत सचिव के कार्यालय पत्र संख्याः–02/2024 दिनांक 18.05.2024 द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भौतिक सत्यापन करवा लिया जायेगा। प्रस्तुत प्रत्युतर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर सुधारात्मक अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये।

अन्य विविध अंकेक्षण आपतियांः–

13 वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें संपरीक्षा संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनरूप लेखों का रख रखाव ग्राम पंचायत मोरठ जसाई द्वारा नहीं किया गया था। जबकि उक्त नियम के अनुसार प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करना अनिवार्य है जिस प्रस्ताव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत द्वारा व्यय करने हेतु प्राधिकृत किया गया था। ग्राम पंचायत मोरठ जसाई के चयनित मास के व्यय वाउचरों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित नहीं थे।

अतः भविष्य में प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित करने उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

14 **लघु आपति विवरणिका:–** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा करके लघु विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई।

15 **निष्कर्ष:–** लेखों के रख रखाव में हि॰ प्र॰ पंचायती राज (वित बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियमों एवं समय–2 पर जारी निर्देशों की पूर्णतः अनुपालना नहीं की जा रही है जिस कारण से लेखों के रख–रखाव में सुधार हेतु कड़े कदम उठाये जाने की आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

3473-3477 का0/प्र0 18 JUL 2024

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)143/2017–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बड़ोह, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत मोरठ जसाई, विकास खण्ड बड़ोह जिला काँगड़ा (हि0प्र0)–176054 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

18 JUL 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0/प्र0

ANNEXURE -1(पैरा संख्या 4.1(छ))

FINANCIAL POSITION OF GP MORTH JASSI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

1 OWN SOURCES

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	171284.71	310413.00	481697.71	328631.00	153066.71
2023-24	153066.71	289621.00	442687.71	369810.00	72877.71

2 GRANTS-IN-AID

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2022-23	1167436.93	6505189.07	7672626.00	6260512.68	1412113.32
2023-24	1412113.32	3361598.08	4773711.40	3331726.69	1441984.71

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मोरठ जसाई
विकास खण्ड बड़ोह (हि०प्र०)

ANNEXURE -2 (पैरा संख्या – 5·1)

FINANCIAL POSITION OF GRANTS- IN- AID OF GP MORTH JASSI FOR THE YEAR 2022-23 & 2023-24

SR.NO	PARTICULARS	YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
1	TSC/SBM	2022-23	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	SDP	2022-23	5582.56	190127.00	195709.56	105022.61	90686.95
		2023-24	90686.95	515248.00	605934.95	469543.61	136391.34
3	VKVNY	2022-23	50173.41	129211.00	179384.41	102283.00	77101.41
		2023-24	77101.41	2137.00	79238.41	0.00	79238.41
4	SCSP	2022-23	2043.14	159.00	2202.14	0.00	2202.14
		2023-24	2202.14	27448.00	29650.14	27349.00	2301.14
5	MMGPY	2022-23	14527.31	520465.07	534992.38	533693.00	1299.38
		2023-24	1299.38	36.00	1335.38	0.00	1335.38
6	CRF	2022-23	103307.14	2823.00	106130.14	0.00	106130.14
		2023-24	106130.14	2902.00	109032.14	0.00	109032.14
7	14TH FC	2022-23	8396.07	61.00	8457.07	8457.07	0.00
		2023-24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	15TH FC	2022-23	983407.30	779594.00	1763001.30	628308.00	1134693.30
		2023-24	1134693.30	157330.00	1292023.30	178337.00	1113686.30
9	MNREGA	2022-23	0.00	4882649.00	4882649.00	4882649.00	0.00
		2023-24	0.00	2656497.08	2656497.08	2656497.08	0.00

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मोरठ जसाई
विकास खण्ड पड़ोह (हि०प्र०)

परिशिष्ट–3 (पैरा संख्या– "५.१ (ख)" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत मोरठ जसाई विकास खण्ड बडोह,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176054

<u>बैंक प्रमाण पत्र</u>

ग्राम पंचायत मोरठ जसाई के दिनांक 01.04.2022 व 31.03.2024 को बैंक शेषः–

क	अनुदान	बैंक	खाता संख्या	बैंक शेष 01.04.22को	बैंक शेष 31.03.24 को
1	स्वःस्त्रोत / 5वां वित	का•के•सह•बैंक रानीताल	20033042240	171284.71	70206.71
2	टी.एस.सी / एस.बी.एम	पी.एन.बी बालूगलोआ	20040000100061266	0	0
3	एस.डी.पी	पी.एन.बी बालूगलोआ	2440000100060407	5582.56	136391.34
4	वी.के.वी.एन.वाई	पी.एन.बी बालूगलोआ	2440000100060416	50173.41	79238.41
5	एस•सी•एस•पी	पी.एन.बी बालूगलोआ	2440000100061257	2043.14	2301.14
6	एम.एम.जी.पी.वाई	पी.एन.बी बालूगलोआ	2440000100060382	14527.31	1335.38
7	सी.आर.एफ	पी.एन.बी बालूगलोआ	2440000100060461	103307.14	109032.14
8	14वाँ वित्तायोग	पी.एन.बी बालूगलोआ	2440000100060373	8396.07	0
9	15वाँ वित्तायोग	एच•डी•एफ•सी बैंक काँगड़ा	50100358467443	786907.30	1113686.30
	हस्तगत शेष			329	800
			कुल जोड़.	**1142550.64**	**1512991.42**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मोरठ जसाई
विकास खण्ड बड़ोह (हि0प्र0)

परिशिष्ट–4 (पैरा संख्या– "6.1" के संदर्भ में)

कार्यालय ग्राम पंचायत मोरठ जसाई विकास खण्ड बड़ोह,जिला काँगड़ा हि0प्र0 176054

दिनांक 31–03–2024 को ग्राम पंचायत में वसूली हेतु शेष सम्पति कर/गृहकरः–

पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवारों की कुल संख्याः 2022–23 में 392 तथा 2023–24 में 400 परिवारों का रु100/– प्रति परिवार प्रतिवर्ष की दर सेः–

वितीय वर्ष	अथशेष	परिवार	गृहकर वार्षिक दर	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि ₹
2022-23	3650	392	100	39200	42850	35600	7250
2023-24	7250	400	100	40000	47250	0	47250
	नोटः– दिनाँक 31.03.2023 को बकाया सम्पति कर/गृहकर की राशि ₹47250/– है।						

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मोरठ जसाई
विकास खण्ड बड़ोह (हि0प्र0)

परिशिष्ट – 5 (पैरा संख्या – 7.1 व 7.2)

ग्राम पंचायत मोरठ जसाई विकास खण्ड बडोंह, जिला कांगडा हिमाचल प्रदेश ,स्टॉक/स्टोर की कय की गई सामग्री की प्रविष्टियां भंडार पुस्तिकाओं में न करना व औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर कय करना।

अनुदान	वो.स. /दिनांक	समाग्री का विवरण	बिल.स. /दिनांक	आपूर्तिकर्ता	मात्रा	रेट	राशि ₹	टिप्पणी
1 14TH FC	17/P/1/24.05.2022	Stationary	291/09.05.2022	M/s Vishal Printers Near New Mandir Baroh			4140	स्टॉक प्रविष्टि ,निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
2.MNREGA	128/17.05.2022	Pedha	223/20.08.2020	M/S Magic Base Concrete works Kachhiari Kgr	90	80	7200	स्टॉक प्रविष्टि ,निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		Saleven			100	90	9000	
		Jamun			90	75	6750	
3.MNREGA	138/17.05.2022	Lemon	93/01.08.2020	M/s Star Nursery kachhiari Kangra	30	115	3450	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		Tiyan			30	95	2850	
		Jamun			50	95	4750	
		Tali			40	95	3800	
4.MNREGA	139/17.05.2022	Nimbu	222/30.10.2020	M/S Magic Base Concrete works Kachhiari Kgr	100	105	10500	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		Khatta			50	105	5250	
		Tiyu			50	95	4750	
		Chiku			50	125	6250	
		Amrood			50	125	6250	
		Suffadd			57	95	5415	
5.MNREGA	141/17.05.2022	Khar	226/30.10.2020	do	300	95	28500	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		Nimbu			25	105	2625	
		Tuni			72	95	6840	
6.MNREGA	143/17.05.2022	Khar	227/30.10.2020	do	300	95	28500	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		Nimbu			25	105	2625	
		Tuni			72	95	6840	
7.MNREGA	146/21.05.2022	Apple	93/01.02.2022	M/s Star Nursery kachhiari Kangra	110	230	25300	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		Chiku			10	180	1800	
		Palam			10	180	1800	
		Kumani			10	180	1800	
		Babugoship			10	180	1800	
		Anaar			5	100	500	
8.MNREGA	148/21.05.2022	Apple	94/01.02.2022	M/s Star Nursery kachhiari Kangra	110	230	25300	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		Chiku			10	180	1800	
		Palam			10	180	1800	
		Kumani			10	180	1800	
		Babugoship			10	180	1800	
		Anaar			5	100	500	
9.MNREGA	150/21.05.2022	Apple	96/01.02.2022	M/s Star Nursery kachhiari Kangra	110	230	25300	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		Chiku			10	180	1800	
		Palam			10	180	1800	
		Kumani			10	180	1800	
		Babugoship			10	180	1800	
		Anaar			5	100	500	
10.MNREGA	152/21.05.2022	Apple	95/01.02.2022	M/s Star Nursery kachhiari Kangra	110	230	25300	स्टॉक प्रविष्टि व निविदाये प्रस्तुत नहीं की गई
		Chiku			10	180	1800	
		Palam			10	180	1800	
		Kumani			10	180	1800	
		Babugoship			10	180	1800	
		Anaar			5	100	500	
11.MNREGA	153/29.02.2024	Malta	332/15.08.2023	M/s VK Flower D/Shala Road Gaggal	20	250	5000	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Kathal			20	250	5000	
		Lemon			20	160	3200	
		Apple			30	160	4800	
		Orange			10	160	1600	
		Timber			30	80	2400	
		Mango			19	250	4750	
12.MNREGA	155/29.02.2024	Amla	330/15.08.2023	M/s VK Flower D/Shala Road Gaggal	20	250	5000	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Malta			20	250	5000	
		Lemon			30	160	4800	
		Apple			20	160	3200	
		Kathal			10	250	2500	
		Timber			75	80	6000	
		Mango			30	250	7500	
13.MNREGA	157/29.02.2024	Amla	329/15.08.2023	do	20	250	5000	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई
		Malta			40	250	10000	
		Lemon			20	160	3200	
		Apple			30	160	4800	
		Timber			32	80	2560	
		Mango			20	250	5000	
		Amla			20	250	5000	स्टॉक प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं की गई

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत मोरठ जसाई

do	186/21.05.2022	63/30.12.2021	Sand	7.900	1.62	12.798	80	1023.84
			Bajri	14.950	1.52	22.724	80	1817.92
do	188/1/21.05.2022	67/30.11.2021	Sand	7.060	1.62	11.437	80	914.98
			Bajri	13.380	1.52	20.3376	80	1627.01
do	193/21.05.2022	55/15.10.2021	Sand	5.530	1.62	8.959	80	716.69
			Bajri	9.170	1.52	13.9384	80	1115.07
do	170/29.02.2024	98/01.04.2023	Stone	4.200	2.24	9.408	80	752.64
do	170/29.02.2024	98/01.04.2023	Sand	2.050	1.62	3.321	80	265.68
do	171/29.02.2024	99/01.04.2023	Bajri	1.000	1.52	1.52	80	121.60
do	175/29.02.2024	95/01.04.2023	Sand	8.300	1.62	13.446	80	1075.68
			Bajri	20.750	1.52	31.540	80	2523.20
			Stone	15.500	2.24	34.720	80	2777.60
do	178/29.02.2024	93/01.05.2023	Sand	4.500	1.62	7.290	80	583.20
			Bajri	5.230	1.52	7.9496	80	635.97
do	179/29.02.2024	94/01.05.2023	Sand	10.500	1.62	17.010	80	1360.80
			Bajri	14.750	1.52	22.42	80	1793.60
do	188/29.02.2024	97/01.04.2023	Sand	3.000	1.62	4.860	80	388.80
			Bajri	6.000	1.52	9.12	80	729.60
							Total	**71584.85**
							25% Penalty	**17896.21**
							(2)G.Total	**89481.06**
				3.SDP				
Kamal Deen Entrprizes Rajiana Khas	P/12/21.02.2024	222/03.08.2023	Sand	2.970	1.62	4.811	80	384.91
			Bajri	5.940	1.52	9.029	80	722.30
			Stone	8.000	2.24	17.920	80	1433.60
do	P/15/21.02.2024	220/01.07.2023	Sand	8.500	1.62	13.770	80	1101.60
			Bajri	17.000	1.52	25.84	80	2067.20
do	P/17/28.02.2024	221/21.07.2023	Sand	9.950	1.62	16.119	80	1289.52
			Bajri	19.900	1.52	30.248	80	2419.84
							Total	**9418.98**
				4.15TH FC				
do	P/14/06.02.2024	229/01.07.2023	Sand	2.900	1.62	4.698	80	375.84
			Bajri	5.800	1.52	8.816	80	705.28
							Total	**1081.12**
				5.MNREGA				
do	172/29.02.2024	0233/30.06.2023	Sand	4.000	1.62	6.480	80	518.40
			Bajri	6.000	1.52	9.12	80	729.60
do	174/29.02.2024	0235/15.06.2023	Sand	8.580	1.62	13.900	80	1111.97
			Bajri	17.160	1.52	26.083	80	2086.66
			Stone	17.940	2.24	40.186	80	3214.85
do	180/29.02.2024	238/01.11.2023	Sand	13.980	1.62	22.648	80	1811.81
			Bajri	16.000	1.52	24.320	80	1945.60
			Stone	11.660	2.24	26.118	80	2089.47
do	182/29.02.2024	0236/30.09.2023	Sand	14.520	1.62	23.522	80	1881.79
			Bajri	29.000	1.52	44.080	80	3526.40
			Stone	27.000	2.24	60.480	80	4838.40
do	185/29.02.2024	0237/30.09.2023	Sand	13.420	1.62	21.740	80	1739.23
			Bajri	26.840	1.52	40.7968	80	3263.74
							Total	**28757.92**
							Total(3+4+5)	**39258.02**
							25% Penalty	**9814.50**
							(3+4+5)G.Total	**49072.52**
							(1+2+3+4+5)Grand Total	**192577.76**